



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	19/2021
G.C.M.S प्रकरण संख्या	2021/19
प्रकरण दर्ज होने की तिथि	05.05.2021
प्रकरण में निर्णय की तिथि	11.04.2022

उनवान

1	प्रभूलाल पि.मांगू गूर्जर नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	देवा पुत्र मांगू गूर्जर नि.उटा बा का खेड़ा मुकम्मिल तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	लादू पुत्र मांगू गूर्जर नि.उटा बा का खेड़ा मुकम्मिल तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	चतग पुत्र गंगाराम गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	देवा पुत्र गंगाराम गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	मेवा पुत्र गंगाराम गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7	भागूती पुत्री गोपी गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8	मेमादेवी पत्नि लालनूराम गूर्जर नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
9	कूलदीप पुत्र लालनूराम गूर्जर नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
10	सरिता पुत्री लालनूराम गूर्जर नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
11	साथरी पुत्री गोपी गूर्जर नि.धैरुखेड़ा तहसील बटनोर जिला भीलवाड़ा
12	मांगू पुत्र गम्भीरा गूर्जर नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
13	मांगू मु.काना गूर्जर नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

1	ऐजीदेवी पत्नि रामलाल कुमावत नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	देवालाल पुत्र रामलाल कुमावत नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	देऊदेवी पत्नि रामा बलाई नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	भंवर पुत्र नानू मुरधुनाथ बलाई नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	माधू पुत्र रामा बलाई नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	मोहन पुत्र रामा बलाई नि.साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7	प्रभू पुत्र हरजी गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8	पारस पुत्र हरजी गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
9	मेवा पुत्र गंगाराम गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
10	हरदेव पुत्र खेमा गूर्जर नि.लक्ष्मीपुरा साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
11	हरदेव पुत्र कजोड़ खाती नि.खातीखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
12	नर्बदा पुत्र बालू खाती नि.खातीखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
13	नारायण पुत्र बालू खाती नि.खातीखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
14	कैलाशी पुत्र बालू खाती नि.खातीखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
15	दिनेश पुत्र बालू खाती नि.खातीखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
16	सोहन पुत्र भोजा कुमावत नि.परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
17	मांगू पुत्र लक्ष्मण कुमावत नि.परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
18	मगदी पत्नि भोजा कुमावत नि.परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
19	जगदीश पुत्र भोजा कुमावत नि.परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
20	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा



— अप्राथी / अप्राथीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	पक्षकार संख्या 1 से 13	श्री इरितयाक अहमद शेख
उपस्थित वकील अप्राथी / अप्राथीगण	पक्षकार संख्या 1 से 19	एक तरफा कार्यवाही
	पक्षकार संख्या 20	श्री पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
1	साबदड़ा	2074-77	162	345	3.64
		कुल कित्ता	1	कुल रकबा	3.64

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ो की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

(3) प्रार्थी / प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की सहमति से सीमाज्ञान करवाने के लिये निवेदन किया तो मना कर दिया और प्रार्थी / प्रार्थीगण की आराजियात की सीमा से पेड़ काटने व छंगायी करने ,घास काटने हेतु विपक्षीगण अक्सर लड़ाई-झगडा करने पर उतार रहते है जिमसे विवाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावे।

(5) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है।

(6) पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है तथा राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होने से प्रकरण में जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(7) वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात की पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है।

(8) प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(9) बहस वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू.अ.निरीक्षक कांवल्लास को 3200 /- रूपये की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट मे किया जावे। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद् पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते / हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावे। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

(सदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवारडा

दिनांक 18/4/22

क्रमांक / रीडर / 2022 / 21

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवारडा